राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (कार्यवाहियां) नियम, 1974

जी.एस.आर.27:- राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम:-** इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (कार्यवाहियां) नियम, 1974 हैं।

2*. सक्षम प्राधिकारी- मंत्री या सचिव से भिन्न किसी लोक सेवक के संबंध में राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ग) के उप खण्ड (ii) के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित रूप में होगा:-

1.	अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, विभागाध्यक्षों और राज्य सेवाओं के सदस्यों के मामले में	-	कार्मिक विभाग का प्रभारी मंत्री
2.	अन्य राजपत्रित अधिकारियों के मामले में	-	संबंधित विभाग का प्रभारी मंत्री
3.	अराजपत्रित अधिकारियों के मामले में	-	संबंधित विभाग का शासन सचिव।''

3. **परिवादों का प्ररूप:-** (1) प्रत्येक परिवाद में लोकसेवक के विरूद्ध अभिकथनों तथा तात्विक तथ्यों जिन पर वह अभिकथन आधारित है, को संक्षिप्त रूप में अन्तर्विष्ट किया जायेगा। इसमें यथासंभव उस साक्ष्य को भी उपदर्शित किया जायेगा जिसके द्वारा परिवादी प्रत्येक अभिकथन को साबित करने की प्रस्थापना करता है तथा उसमें निम्नलिखित सूचना भी अन्तर्विष्ट की जायेगी :-

   (क) परिवादी का नाम, वर्णन, निवास स्थान उसकी वृति तथा पूर्ण पते सहित,

   (ख) लोकसेवक, जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, का नाम, वर्णन तथा निवास स्थान जहां तक वे अभिनिश्चित किये जा सकें ।

   (2) प्रत्येक परिवाद पर पचास पैसे मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प लगाया जायेगा **जब तक कि** लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त इसका **अधित्यजन** करना उचित न समझे।

4. **शपथ-पत्रः-** (1) प्रत्येक परिवाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या शपथ पत्रों को अनुप्रमाणित करने के लिये सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित शपथ पत्र से समर्थित होगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा शपथ पत्र अन्त में परिवादी द्वारा या परिवादियों में से एक द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

(3) सत्यापित करने वाला व्यक्ति शपथ पत्र के संख्यांकित पराओं के निर्देश से यह विनिर्दिष्ट करेगा कि वह अपनी जानकारी से क्या सत्यापित करता है और ऐसी सूचना पर जो उसने की हो तथा उसको उसके सत्य होने का विश्वास हो, क्या सत्यापित करता है। पश्चातवर्ती दशा में जानकारी के स्रोत तथा उसके विश्वास के आधारों को भी उल्लिखित किया जायेगा।

(4) सत्यापन करने वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापन हस्ताक्षरित होगा तथा उसमें तारीख एवं स्थान जिसको तथा जहां पर यह हस्ताक्षरित किया गया था का उल्लेख किया जायेगा।

(5) कार्मिक विभाग, लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम संबंधी मामलों का संव्यवहार करने के लिए प्रशासनिक विभाग होगा और सामान्यतः वह सरकार तथा लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त के बीच संसूचना का माध्यम होगा।

(6) लोकायुक्त सचिवालय का प्रत्येक आदेश या लिखित लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त द्वारा या लोकायुक्त द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत सचिवालय के सचिव, उप सचिव या सहायक सचिव द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया जाय और ऐसे हस्ताक्षर ऐसे आदेश या लिखित का उचित अधिप्रमाणन समझे जायेंगे। [संख्या एफ.6(6)कार्मिक(क-3)174]

---

*अधिसूचना क्रमांकःएफ.6(11)कार्मिक/क-3/95 दिनांक 25.9.1996 द्वारा नियम 2 प्रतिस्थापित किया गया।